फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्रीमती जमनाकुंवर** विपक्षी :– **राज्य**

किस्म मुकदमा :– 136 एलआरएक्ट पत्रावली संख्या :– **70/24 विविध**

जीसीएमएस नम्बर :– **2024/292**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 22.12.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं राजपैरोकार उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा गवाह शपथ पत्र अमरसिंह व मीठुसिंह के पेश किये। शामिल फाईल रहे। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी संख्या 3 का नाम हटाये जाने का मय संशोधित शीर्षक पेश किया। शामिल फाईल रहे। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी संख्या 3 फौत होने से नाम तर्क किये जाने का निवेदन किया। हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है प्रकरण में प्रार्थी संख्या 3 का निधन हो जाने के पश्चात उसके वारिसान को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वारिस कायमी करानी होती है परन्तु प्रार्थी संख्या 3 के वारिसान द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वारिस कायमी नही करवाई गई। ऐसे में प्रार्थी संख्या 3 के हद तक प्रार्थना पत्र अबेट हो चुका है। वैसे भी उक्त प्रार्थना पत्र केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड में नाम संशोधन का ही था। जब प्रार्थी संख्या 3 का निधन ही हो चुका है तो विरासत से उसके वारिसान का नाम अंकित होना है। ऐसे में प्रार्थी संख्या 3 के हद तक प्रार्थना पत्र की कार्यवाही को जारी रखने का कोई औचित्य नही है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर न्यायहित में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी संख्या 3 का नाम तर्क किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस प्रार्थना पत्र सुनी जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं राजपेरोकार की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड में अपने स्वयं के नाम कमलाबाई पत्नी उदेसिंह व कालुसिंह पिता उदेसिंह दर्ज होकर गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में गवाह शपथ पत्र जमनाकुंवर, रामसिंह, भेरूसिंह, पवनसिंह, अमरसिंह व मीठुसिंह के पेश किये। दस्तावेज शैक्षणिक अंकतालिका की फोटोप्रति, आधार कार्ड की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत नउआ द्वारा जारी प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, प्रार्थीगण स[illegible] के शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:39 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रार्थीगण के नाम कमलाबाई पत्नी उदेसिंह व कालुसिंह पिता उदेसिंह नही होकर जमनाकुंवर पत्नी उदयसिंह व पवनसिंह पिता उदयसिंह होना जाहिर होता है। तहसीलदार घासा की रिपोर्ट अनुसार भी प्रार्थीगण कमलाबाई पत्नी उदेसिंह एवं जमनाकुंवर पत्नी उदयसिंह तथा कालुसिंह पिता उदेसिंह एवं पवनसिंह पिता उदयसिंह को एक ही व्यक्ति होना बताया हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि ग्रामीण परिवेश में आपस में बोलचाल में अलग नाम से पुकारते है जबकि वास्तविक नाम अलग होता है। पटवारी हल्का द्वारा विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय ग्रामीणों से मृतक के वारिसान के संबंध में पुछताछ/जानकारी करता है तो ग्रामीणजन उनको जिस नाम से पुकारते है वही नाम बता देते है। जिससे उनका नामान्तरकरण वास्तविक नाम से पारित नही होकर ग्रामीण क्षेत्र के बोलचाल के नाम से हो जाता है। इस प्रकरण में भी प्रार्थीगण के नाम एवं उनके पति/पिता को जिस नाम से पुकारते थे वही नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया गया जबकि प्रार्थीगण स्वयं के एवं उनके पति/पिता का वास्तविक नाम वह नही था। अतः राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण स्वयं के उनके पति/पिता का नाम गलत अंकित होने से उसे सही किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा नउवा पटवार हल्का नउवा तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 के खाता संख्या 261 पर दर्ज आराजीयात भूमि में प्रार्थीगण के नाम कमलाबाई पत्नी उदेसिंह के बजाय कमलाबाई उर्फ जमनाकुंवर पत्नी उदयसिंह एवं कालुसिंह पिता उदेसिंह के बजाय कालुसिंह उर्फ पवनसिंह पिता उदयसिंह संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:39 IST
Reason: SelfAttested